आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा, यूपी में 08 से 10 जनवरी, 2024 तक आयोजित इंडस फूड 2024 के 07वें संस्करण के दौरान एपीडा पवेलियन के डिजाइन और निर्माण-कार्य के लिए बोलियां जमा करने हेत् संदर्भ की शर्तें (टीओआर)

दिनांक: 14.12.2023

1. आवश्यकताएं:

- क. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण "एपीडा" द्वारा भारतीय खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने हेतु अपना पवेलियन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है:
- ख. आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा, यूपी में 08 से 10 जनवरी, 2024 तक आयोजित इंडस फूड (इसके बाद "इवेंट" के रूप में संदर्भित किया जाता है)
- ग. आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा में इवेंट के लिए एपीडा पवेलियन का कुल क्षेत्रफल लगभग 72 वर्ग मीटर (लेआउट के अनुसार) है। (इवेंट का लेआउट अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है)।

घ. एपीडा निम्नलिखित के लिए बोलियां आमंत्रित करता है:

1. इंडस फूड 2024 के 3 दिनों के दौरान एपीडा पवेलियन और अन्य संबद्ध गतिविधियों का डिजाइन, निर्माण-कार्य और प्रबंधन।

2. बोलियों की प्रस्तुति हेतु पात्रता

निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता रखने वाली एजेंसियों को आद्यो पांत (टर्नकी) आधार पर इस इवेंट के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है:-

2.1 एजेंसियों को पंजीकृत व्यावसायिक इकाई / सेवा प्रदाता होना चाहिए। पंजीकरण क्रमांक, टैन / प्रत्यक्ष कर / आयकर / व्यापार कर / वैट / जी.एस.टी आदि के रूप में लागू तकनीकी बोली प्रारूप में उद्धृत किया जा सकता है और प्रमाण पत्र/प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए। ये दस्तावेज़ केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि

- समूह/सिस्टर संगठनों के नाम पर। दूसरे शब्दों में , प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।
- 2.2 भारत से बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में पवेलियन की स्थापना के लिए आद्योपांत आधार पर परियोजनाओं को अवधारणा , डिजाइन और निष्पादित करने में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
- 2.3 सीए अभ्यास द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले पिछले 5 वर्षों (लेखापरीक्षित/अनलेखापरीक्षित) के दौरान तीन वर्षों में से रु. 5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपए मात्र) का औसत टर्नओवर।
- 2.4 नई दिल्ली में देय "एपीडा" के पक्ष में 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) की राशि के लिए डीडी के रूप में ईएमडी बोली के लिए आवश्यक है , जिसके बिना बोली प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 2.5 एक स्व-प्रमाणित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उन्हें कभी भी किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैंकलिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख तक लागू नहीं है।

3. कार्य-क्षेत्र

चयनित बोलीदाता को निम्नलिखित गतिविधियाँ करना अपेक्षित है:

- क. प्रस्तावित एपीडा पवेलियन को सामान्य क्षेत्र , नमूनाकरण और प्रतिभागियों के क्षेत्र/प्रदर्शनी बूथ सहित पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करके डिजाइन किया जाएगा।
- ख. एपीडा पवेलियन का क्ल सकल क्षेत्रफल लगभग 72 वर्ग मीटर होगा।
- ग. एपीडा पवेलियन में निम्न शामिल होंगे:-
- 1. एपीडा थीम क्षेत्र जैविक खाद्य उत्पादों पर आधारित होगा। और थीम क्षेत्र के अंदर 10 -
- 15 निर्यातकों के लिए टेबल डिस्प्ले का प्रावधान उपलब्ध होगा।
- 2. जैविक उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए थीम क्षेत्र में एक ऑर्गेनिक वॉल होगी।
- 3. थीम क्षेत्र लकड़ी और/या पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनाया जाएगा।

4. थीम क्षेत्र जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में एपीडा की गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा।

- 5. थीम क्षेत्र में ब्रोशर डिस्प्ले स्टैंड के साथ-साथ थीम उत्पाद को प्रदर्शित करने के लिए जगह होनी चाहिए।
- 6. भारतीय जैविक उत्पादों के प्रदर्शन के लिए पूर्ण आकार के तीन लॉक करने योग्य शोकेस।
- 7. ग्राफिक्स एपीडा के परामर्श से डिजाइन किया जाएगा।
- 8. एपीडा ब्रांड प्रचार के लिए थीम क्षेत्र को आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम जंचाई से एपीडा पवेलियन की ब्रांडिंग और दृश्यता के लिए ऊंचे लकड़ी के फर्श से अलग किया जाना चाहिए।
- 9. वीआईपी लाउंज में कम से कम 10 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले सोफा सेट होंगे। 10. एजेंसी द्वारा डे शिफ्ट में दो परिचारिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 11. एपीडा कॉर्पोरेट ब्रोशर और ऑर्गेनिक ब्रोशर (2000 प्रतियां) के साथ प्रदर्शक की निर्देशिका की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग।
- 12. एपीडा थीम क्षेत्र में बैकलिट फेशिआ और थीम क्षेत्र में बैकलिट पोस्टर होंगे।
- 13. पूरे पवेलियन की उचित एवं नियमित सफाई की जिम्मेदारी भी एजेंसी की होगी।
- 14. भारत पवेलियन का समग्र स्वरूप समकालीन होना चाहिए और आधुनिक भारत के रंग और जीवंतता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। एक उपयुक्त ब्रांडिंग की जानी चाहिए और आयोजकों के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आयामों (विशेष रूप से शीर्ष अनुभाग) के इष्टतम उपयोग के साथ इसका पालन किया जाना चाहिए।
- 15. जेनेरिक ब्रांडिंग स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स पर होनी चाहिए ताकि फाइनल गेटअप में रिंकल न पड़ें। आम ब्रांडिंग बैनरों में चमकदार सफेद रोशनी से ढकी होनी चाहिए।
- 16. सामान्य क्षेत्र में ब्रांडिंग के लिए 3 x 2.5 मीटर की वीडियो वॉल।
- 17. कार्पेट का गहरा रंग हो।
- 18. पेंट फिनिश में एमडीएफ (न्यूनतम आकार 50 मिमी) के साथ डबल साइड लकड़ी से बनी पार्टिशन वॉल।
- 19. जेनेरिक ब्रांडिंग स्ट्रेचेबल लाइक्रा या फ्लेक्स पर होनी चाहिए ताकि फाइनल गेटअप में रिंकल न पड़ें। आम ब्रांडिंग बैनरों में चमकदार सफेद रोशनी से ढकी होनी चाहिए।
- 20. प्रस्तावित पवेलियन पूरी तरह से लकड़ी का कस्टम डिजाइन होगा।
- 21. एपीडा के उपयोग के लिए सभी सामान्य क्षेत्रों को ऊंचे लकड़ी के फर्श से अलग किया जाना चाहिए।
- 22. पवेलियन/स्टॉलों के निर्माण की अन्य शर्तों , स्टॉल की ऊंचाई आदि के लिए आप www.indusfood.co.in देख सकते हैं। संपूर्ण भारत पवेलियन में चलने वाली प्रावरणी और ब्रांडिंग मूल संरचना से ऊपर होगी।
- 23. पवेलियन को पर्याप्त सफेद रोशनी से जगमगाया जाएगा ताकि पूरे पवेलियन में अंधेरा न हो।

- 24. भारत पवेलियन के सामान्य क्षेत्र के लिए पोस्टर/पैनल को एपीडा द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार विकसित और लगाए जाने की आवश्यकता है।
- 25. इवेंट के समापन के बाद यूट्यूब पर कम से कम तीन मिनट का वीडियो अपलोड करने और एपीडा वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- 26. प्रत्येक दिन पूरे एपीडा पवेलियन की सफाई और रखरखाव।
- 27. वीआईपी के लिए या आवश्यकतानुसार प्रतिदिन कम से कम तीन गुलदस्ते की व्यवस्था करना और जलपान की व्यवस्था करना।
- 28. पवेलियन को चारों ओर अधिकतम संभव ख्लेपन के साथ स्थापित किया जाना।
- 29. एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे वॉल पैनल, फर्नीचर, डिस्प्ले एड्स आदि बहुत उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। स्टैंड क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली कुर्सियाँ/टेबल, काउंटर, डिस्प्ले सहायक उपकरण आदि एक ही प्रकार और रंग के होने चाहिए। 30. एपीडा पवेलियन के सामान्य क्षेत्र के लिए पोस्टर/पैनल को एपीडा द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अन्सार विकसित और लगाए जाने की आवश्यकता है।

4. विशिष्ट विशेषताएं

- 1. एजेंसी के पास परिचारकों के साथ कॉफी , चाय, सूप, वेंडिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, चिलर और पानी निकालने की मशीन का प्रावधान होना चाहिए।
- 2. एजेंसी को प्रदर्शनी की पूरी अविध के दौरान पवेलियन के रखरखाव , सफाई और अग्नि स्रक्षा के साथ-साथ भूनिर्माण का कार्य भी करना होगा।
- 3. एजेंसी को टर्नकी आधार पर डिजाइनिंग और निर्माण, पवेलियन के रखरखाव और प्रबंधन से लेकर इसे तोड़ने तक का काम दिया जाएगा। एजेंसी को आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत स्टॉल की स्थापना और उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में एपीडा घटकों के साथ समन्वय करने की भी आवश्यकता होगी। सभी संरचनाओं को पूर्वनिर्मित और आयोजन स्थल पर इकट्ठा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आयोजन स्थल आयोजन से सिर्फ 2 दिन पहले उपलब्ध होगा। घटना के बाद एक दिन में सभी संरचनाओं को तोड़कर हटा देना होगा
- 4. पूरे कार्यक्रम के लिए हाई रेजोल्यूशन स्टिल और वीडियो फोटोग्राफी और कम से कम 5x7 आकार की कम से कम 150 तस्वीरों वाले फोटो एलबम जमा करने होंगे।
- 5. अवधारणा में लेआउट योजना और उसका 3डी दृश्य शामिल होना चाहिए।
- 6. पवेलियन को पर्याप्त सफेद रोशनी से जगमगाया जाएगा ताकि पूरे पवेलियन में अंधेरा न हो।
- 7. एपीडा की दृश्यता के लिए सम्मेलनों , सेमिनारों और कार्यशालाओं सिहत कई स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल सामग्री के स्टैंडीज़ और डिस्प्ले पैनल के माध्यम से माहौल बनाना।
- 8. बिजली बिल वास्तविक पर अलग से जमा करना होगा।

5. प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस

- 1. बोलीदाता प्रेस विज्ञिप्ति, समाचार पत्र कवरेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया में विज्ञापन आदि के रूप में एपीडा गतिविधियों को प्रचार प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित मीडिया एजेंसियों का समन्वय और पहचान करेगा।
- 2. आयोजन के दौरान प्रतिदिन 3-5 मिनट का वीडियो कैप्सूल तैयार कर यूट्यूब पर अपलोड करना होगा। दैनिक घटनाओं का संक्षिप्त विवरण तैयार कर प्रतिदिन ट्विटर एवं फेस बुक पर कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना।
- 3. संपूर्ण एपीडा पवेलियन गतिविधियों/बी2बी और बी2एस बैठकों और सम्मेलन की कार्यवाही का पूर्ण और निरंतर वीडियो कवरेज
- 4. प्रत्येक ब्रोशर निम्नलिखित आयामों में दोनों तरफ A4 आकार का होगा:
- क) ब्रोशर का आकार: 8.5x11.5;
- ख) कागज की गुणवत्ताः मैट फ़िनिश ; कवर और पिछला पृष्ठः मैट लैमिनेटेड फ़िनिश ; तस्वीरें: एजेंसी द्वारा व्यवस्थित की जाने वाली उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें; कॉपी राइटिंगः बुनियादी जानकारी एपीडा द्वारा प्रदान की जाएगी लेकिन इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के उद्देश्य से संपादन , प्रूफ रीडिंग और मूल्यवर्धन एजेंसी द्वारा किया जाएगा; फ़ॉन्ट चेहराः एपीडा द्वारा अनुमोदित क्रिएटिव के अनुसार ; फ़ॉन्ट आकारः एपीडा द्वारा अनुमोदित क्रिएटिव के अनुसार ; फ़ॉन्ट आकारः
- ग) कवर पेज गुणवत्ता: 250 जीएसएम आयातित आर्ट पेपर ; अंदर के पेज की गुणवत्ता: 130 जीएसएम आयातित आर्ट पेपर ; सिलाई: केंद्र सिलाई ; सीडीआर फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी आवश्यक है

6. सामान्य

- 1. चयनित बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि पवेलियन के निर्माण और रखरखाव और अंत तक आयोजन के समन्वय के लिए साइट पर उपयुक्त श्रमशक्ति मौजूद है।
- 2. चयनित बोलीदाता इवेंट के अंत तक आयोजकों के सभी लागू बिलों का निपटान करेगा।
- 3. बिजली की आपूर्ति और मुख्य विद्युत कनेक्शन, जलापूर्ति और अन्य समर्थन प्रणाली आदि कार्यक्रम आयोजकों की अनुशंसाओं के अनुसार उपलब्ध होंगे। तद्नुसार, उपरोक्त प्रावधानों की चयनित बोलीदाता द्वारा जाँच किए जाने की आवश्यकता होगी।
- 4. एजेंसी को प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान पवेलियन की रखरखाव, सफाई और अग्नि स्रक्षा के साथ-साथ भूनिर्माण का कार्य भी करना होगा।

7. नियम एवं शर्ते

- 1. एपीडा के दिशा-निर्देशों एवं मार्गदर्शन में अनुमोदित बोलीदाता कार्य करेगा। यह सुनिश्चित करना एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि एपीडा के लिए उनके द्वारा की गई सभी गतिविधियां कानूनी ढांचे के अनुसार हों।
- 2. बोली मूल्य सभी लागू करों सिहत केवल भारतीय रुपए में कोट की जाएंगी।
- 3. इच्छुक पात्र एजेंसियां नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1,00,000/- रु. (एक लाख रुपये मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) सिहत सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक- I और II के अनुसार अपनी बोलियां जमा कर सकती हैं। असफल बोलीदाता को विक्रेता के चयन के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भुगतान में समायोजित की जाएगी।
- 4. एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उनके द्वारा किराए पर लिए गए श्रमशक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों की प्रयोज्यता स्निश्चित करे।
- 5. एजेंसी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। बोली की वैधता बोली जमा करने के अंतिम दिन से 30 दिनों के लिए होगी।
- 6. एपीडा की आवश्यकता है कि इस अनुबंध के तहत बोलीदाता समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें और किसी भी सतर्कता जांच से मुक्त रहे। बोलीदाताओं को एपीडा को निविदा दस्तावेज तैयार करने और जमा करने से जुड़ी लागत को वहन करना होगा।
- 7. एपीडा कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित किया जाता है कि प्रस्ताव के लिए अनुशंसित एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।
- 8. एपीडा किसी आवेदक/बोलीदाता को या तो अनिश्चित अविध या निश्चित अविध के लिए अनुबंध/अनुबंधों को सौंपने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि यह किसी भी समय निर्धारित करता है कि आवेदक/बोलीदाता अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।

- 9. एजेंसी एपीडा को किसी भी दावे, हानि, मुकदमे, देयता के लिए हानिरहित क्षतिपूर्ति करेगी।
- 10. एजेंसी एपीडा द्वारा अनुमोदित रंग के अनुसार पवेलियन के अंदर नई और गुणवत्तापूर्ण कालीन उपलब्ध कराएगी।
- 11. इवेंट के लिए पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। एजेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे वॉल पैनल, लकड़ी की सामग्री, फर्नीचर, डिस्प्ले सहायक सामग्री आदि अच्छी गुणवत्ता वाली और अधिमानतः पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। प्रदान किए जाने वाले फर्नीचर की तस्वीरें प्रस्तुति के समय दिखाई और प्रस्तुत की जाएंगी। इवेंट में पर्यावरण के लिए खतरनाक सामग्रियों की अन्मित नहीं है।
- 12. एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू भी नहीं है।
- 13. काउंटर/स्टॉल पर लगाने के लिए प्रदर्शकों से लोगो/टीपी डिज़ाइन की व्यवस्था की जाएगी।
- 14. वेंडर को अंतिम भुगतान के निपटान से पहले एपीडा में एपीडा की भागीदारी की रिपोर्ट के साथ पवेलियन के अंतिम डिजाइन, एपीडा के लिए तैयार किए गए पैनल की सॉफ्ट कॉपी (सीडीआर प्रारूप में) जमा करनी होगी। इसे एपीडा की संपत्ति माना जाएगा।

8. एपीडा के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

- 1. पवेलियन एवं ग्राफिक्स के डिजाइन का कॉपी राइट।
- 2. डिजाइन योजना में मामूली बदलाव।
- 3. अपने विवेक से आवेदनों/बोली दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा बढ़ाना।
- 4. बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना, अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।
- 5. परियोजना को स्थगित करना, चयनित पार्टी के साथ अनुबंध को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी समय रद्द करना यदि एपीडा की राय में यह जनहित में आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा उपरोक्त कार्रवाई से हुई या उत्पन्न किसी भी क्षति या हानि के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।

- 6. अनुबंध के नियमों और शर्तों को संशोधित करना जो सफल बोलीदाता को बोली प्रिक्रिया के बाद प्रदान किया जाएगा, यदि एपीडा की राय में, सार्वजनिक हित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।
- 7. इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 8. इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए, अध्यक्ष एपीडा का निर्णय अंतिम और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

9. तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने के लिए दिशानिर्देश

- 9.1 अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद तकनीकी और वित्तीय बोलियों को इवेंट के नाम अर्थात, "इंडस फूड 2024, 8 से 10 जनवरी, 2024 तक आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा, भारत" 26 दिसंबर, 2023 तक लिफाफे में उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि सशर्त बोलियों की अनुमित नहीं है और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 9.2 कवर 1: तकनीकी बोली: अनुलग्नक I में उल्लिखित दस्तावेजों को शामिल करने के लिए इवेंट का नाम और "तकनीकी बोली" लिखें:

(अनुलग्नक 'I')

बोलीदाता द्वारा प्रस्त्त किए जाने वाले अनिवार्य विवरण:

- क) एजेंसी का नाम व पता
- ख) म्ख्य कार्यकारी का नाम व पदनाम
- ग) पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या सहित एजेंसी का प्रोफाइल
- घ) ट्रैक रिकॉर्ड समान प्रकृति के कार्य को संभालने का पिछला अनुभव (कृपया यहां उल्लेख करें)।
- ड.) कंपनी के पास पिछले दो वर्षों के कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ देश के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेल पवेलियन (विज्ञापन और मुद्रण रहित) में इवेंट मैनेजमेंट में 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

- च) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए आवेदक बोलीदाता के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला एक सीए प्रमाणपत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठन के नाम पर।
- छ) पिछले 3 वर्षों के नवीनतम आयकर रिटर्न की स्व प्रमाणित प्रति और पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति।
- ज) ये दस्तावेज केवल आवेदक संगठन के नाम पर होने चाहिए न कि समूह/सहयोगी संगठनों के नाम पर।
- झ) दूसरे शब्दों में, प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में आवेदक संगठन का नाम समान होना चाहिए।
- ण) एपीडा, नई दिल्ली के पक्ष में ड्राफ्ट/अप्रतिसंहरणीय और सशर्त बैंक गारंटी के रूप में 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) के लिए ब्याज मुक्त बयाना जमा "ईएमडी"।
- त) अंतिम चयन के बाद असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। चयनित बोलीदाता के लिए, ईएमडी राशि अंतिम भ्गतान में समायोजित की जाएगी।

थ) एक स्व-प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है और यह आज की तारीख में लागू नहीं है।

10. पवेलियन के कॉन्सेप्ट/डिजाइन के साथ लेआउट, सजावट योजना आदि जैसा कि ऊपर बताया गया है, हार्ड कॉपी के साथ-साथ सीडी पर भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एजेंसी को एपीडा पवेलियन (हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों) की 3डी ईमेजस/प्रेज़ेंटेशन प्रदान करनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से विभिन्न एंगल्स से एपीडा पवेलियन के पूर्ण प्रक्षेपण को दर्शाती हो। इसमें पूर्ण डिस्प्ले एड्स और फर्नीचर के साथ 9 वर्ग मीटर के मानक बूथ का पूरा 3डी लुक भी दिखाना होगा। 3डी प्रेजेंटेशन में भी ग्राफिक्स आदि के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए।

कवर 2: वित्तीय बोली: इवेंट का नाम और "वित्तीय बोली" लिखें:

(अनुलग्नक II)

निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरण को शामिल करना:

केवल भारतीय रुपये में प्रमुख घटकों के अलग-अलग ब्रेक-अप के साथ विधिवत दिनांकित वित्तीय बोली। एकम्श्त राशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक II

क्र. सं.	कार्य विवरण	राशि (रुपए में)	
1	थीम पवेलियन का निर्माण-कार्य - एक जॉब		
	बिंदु 3 और 4 पर निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट		
	आवश्यकताओं के अनुसार एपीडा थीम पवेलियन का		
	निर्माण-कार्य		
3	प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस - एक जॉब		
	निविदा दस्तावेजों में बिंदु सं. 5 पर निर्दिष्ट		
	आवश्यकता के अनुसार और बोली-पूर्व बैठक के बाद		
	जारी स्पष्टीकरण के अनुसार		
कुल राशि (कर सहित)			

11. चयन प्रक्रिया

एपीडा में एक समिति बोलीदाताओं की प्रारंभिक जांच करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करेगी। चयनित बोलीदाताओं को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

प्रस्तुति में निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं:

क्र.सं.	क्षेत्र	स्कोर/वेटेज
1.	समग्र अवधारणा व डिज़ाइन	30
2.	जैविक खादय उत्पादों के एक प्रबल स्रोत के रूप में भारत का महत्वपूर्ण चित्रण।	20
3.	एपीडा को आवंटित फ्लोर क्षेत्र और स्थान के सर्वोत्तम उपयोग वे	10
	अनुसार संरचना का उपयुक्त आयाम।	
4.	वर्ष 2022-23 हेतु कंपनी का टर्नओवर: अंकों का ब्रेकअप नीच	05
	दिया गया है:	
	क) 5 करोड़ रु. 2 अंक	
	ख) 5-10 करोड़ रु. 3 अंक	
	ग) 10 करोड़ रु. से अधिक 5 अंक	
5.	समान प्रकृति के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पिछले कार्य। अंकों का ब्रेकअप नीचे दिया गया है:	05
	क) 5 वर्ष 2 अंक	
	ख) 5-10 वर्ष 3 अंक	
	ग) 10 वर्ष से अधिक 5 अंक	

12. वित्तीय बोलियों को खोलना

सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी।

अंकन की गणना में निम्नलिखित विधि होगी:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व वित्तीय बोली को शामिल किया जाएगा और जिस बोलीदाता ने अधिक अंक स्कोर किए होंगे उसका चयन किया जाएगा।

चयन समिति बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों या किसी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, घोषणा को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा के पास कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित बोलीदाताओं के साथ कीमतों पर वार्तालाप करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

13. अपरिहार्य घटना

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश, एक्सप्लोज़न, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और स्विधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अन्बंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से श्रू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

14. विवाचन

इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। दोनों पक्ष सुलह के माध्यम से किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) उक्त को अध्यक्ष, एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

15. भुगतान की शर्ते

सफल बोलीदाता को भ्गतान निम्नलिखित अन्सूची के अन्सार किया जाएगा:

- 1. व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर या समान राशि की बैंक गारंटी के एवज में कुल लागत के 50% तक का अग्रिम।
- 2. इवेंट के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी (अधिकारियों) की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के अनुसरण में कार्यक्रम के पूरा होने पर शेष राशि जारी की जाएगी।
- 3. बोलीदाता को सामग्री और प्रस्त्ति से जुड़ी सभी लागतों को वहन करना होगा।

16. बोलियां प्रस्तुत करना

बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित प्रकार से एक मुहरबंद लिफाफे में सहायक दस्तावेजों के साथ बोली जमा की जाएगी:

लिफाफा I: ईएमडी- नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के डीडी के रूप में बयाना राशि।

लिफाफा II : सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक । (तकनीकी बोली)। लिफाफे को मुहरबंद और "8 से 10 जनवरी , 2024 तक आईईएमएल , ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड 2024 में एपीडा पवेलियन के लिए तकनीकी बोली " के रूप में चिहिनत किया जाना चाहिए।

तिफाफा III: निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों व लेआउट योजना के अनुसार एपीडा पवेलियन की पूरी परियोजना के लिए सभी करों सिहत भारतीय रुपये में बोली मूल्य के लिए विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक-॥ (वित्तीय बोली)। लिफाफे को मुहरबंद और "8 से 10 जनवरी,

2024 तक आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड 2024 में एपीडा पवेलियन के लिए वित्तीय बोली" के रूप में चिहिनत किया जाना चाहिए।

लिफाफा - IV : लिफाफा I, II और III को लिफाफा - IV के अंदर रखा जाना चाहिए और फिर से मुहरबंद कर दिया जाना चाहिए। लिफाफों (I, II, III और IV) पर बोलीदाता का नाम स्पष्ट रूप से पूरे पते, दूरभाष: संख्या, ई-मेल के साथ लिखा जाना चाहिए। इस मास्टर लिफाफा (लिफाफा - IV) को "8 से 10 जनवरी, 2024 तक आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड 2024" में एपीडा पवेलियन के लिए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली" के रूप में चिहिनत किया जाना चाहिए और नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत करना चाहिए।

17. कार्य-निष्पादकता आश्वासन

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है/कार्य -क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

बोली-पूर्व बैठक 19 दिसंबर, 2023 को प्रात: 11 बजे होगी।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर, 2023 है।

संपूर्ण आवेदन पत्र निम्न पते पर भेजे जाएं:

सचिव

एपीडा, तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, खेल गांव के सामने, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली– 110 016

*िकसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।